न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 61 / 2024

श्रीमती दुर्गा पुत्री स्व. अमराराम पत्नी बुद्धाराम नायक उम्र 59 वर्ष निवासीनी ग्राम ढ़ढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर हाल निवासी रोही ढ़ाणी पोटलियान बीदासर तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

.........वादी........

बनाम

1. गोरखा पुत्र स्व. अमराराम नायक निवासी ग्राम ढ़ढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. निराणराम पुत्र स्व. केशराराम नायक निवासी ग्राम ढ़ढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
3. मांगुराम पुत्र स्व. केशराराम नायक निवासी ग्राम ढ़ढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
4. दीपाराम पुत्र स्व. ईशरराम नायक निवासी ग्राम ढ़ढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
5. सीता देवी पत्नी स्व. श्रवणराम नायक निवासी ग्राम ढ़ढेरू भाभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
6. मुकेश पुत्र स्व. श्रवणराम नायक निवासी ग्राम ढ़ढेरू भाभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
7. महेन्द्र नायक पुत्र स्व. श्रवणराम नायक निवासी ग्राम ढ़ढेरू भाभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
8. दलीप पुत्र स्व. श्रवणराम नायक निवासी ग्राम ढ़ढेरू भाभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
9. ललिता उम्र 12 वर्ष पुत्री स्व. श्रवणराम नायक
10. विक्रम उम्र 10 वर्ष पुत्र स्व. श्रवणराम नायक
11. प्रियंका उम्र 5 वर्ष पुत्री स्व. श्रवणराम नायक

(9–11) नाबालिग जरिये अपनी माता प्राकृतिक संरक्षिका सीता देवी पत्नी स्व. श्रवणराम नायक निवासी ग्राम ढ़ढेरू भाभूवान तह. बीदासर जिला चूरू

12. श्रीमान् शाखा प्रवन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राजस्थान

लगातार ....2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

13. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, बीदासर जिला–चूरू राजस्थान
14. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब बीदासर जिला–चूरू (राज॰)

...........प्रतिवादीगण........

दावा विभाजन व चिर निषेधाज्ञा

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री अमरसिंह राठौड़ व गोवर्धनसिंह राठौड़ वादी की ओर से व
(2) विद्वान अधिवक्ता श्री तिलोकचन्द पिलानिया प्रतिवादीगण सं॰ 1 ता 11 की ओर से
(3) प्रतिवादीगण सं॰ 12 व 13 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
(4) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक :.....07-25.........

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा, काश्त के वर्तमान खेत खसरा नंबर 530 तादादी 9.6239 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 531 तादादी 11.6979 हैक्टेयर कुल तादादी 21.3218 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढ़ढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान में स्थित चले आ रहे है। उपर वर्णित खसरेजात की भूमि में वादीनी का 1/6 हक हिस्सा भूमि है। जिस पर वादीनी का कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। वादीनी व प्रतिवादीगण का रहन–सहन, खान–पान अलग–अलग है तथा वादीनी एवं प्रतिवादीगण उपर वर्णित खसरेजात की भूमि में अपने–अपने हिस्से पांति की भूमि पर कब्जा, काश्त के मुताबिक भूमि को काश्त करत चले आ रहे है परन्तु वादगत भूमि राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है। वादीनी ने अपने हिस्से पांति की भूमि को काश्त कर इस वर्ष मोठ, बाजरी, मूंग, ग्वार की फसल की बुवाई कर रखी है और वादीनी ने अपनी भूमि को काफी सुधारकर उपजाऊ बना रखा है और वादीनी अपने हिस्से पांति की भूमि का विभाजन कानूनी दृष्टि से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर करवाने की अधिकारिणी है। खातेदार श्रवणराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 है। वादीनी ने वादगत भूमि खेत खसरा नंबर 530 तादादी 9.6239 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 531 तादादी 11.6979 हैक्टेयर कुल तादादी 21.3218 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढ़ढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला–चूरू की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करवाने के लिये दिनांक 22.09.2024 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादगत खसरेजात की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करवाने

लगातार ....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

से इन्कार कर दिया और प्रतिवादीगण ने वादीनी को ऐलानिया धमकियां दी और कहा कि बिना विभाजन करवाये वादीनी के हिस्से पांति की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करेगें तथा वादीनी को उसके हिस्से पांति की भूमि में प्रवेश नहीं करने देगें व फसल काश्त नहीं करने देगें, फसल लेने नहीं देंगें तथा आवागमन के रास्ते को भी बंद करेगें और वादगत भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन इत्यादि करेगें। यदि प्रतिवादीगण अपने गलत कृत्य में सफल हो गये तो वादीनी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिये वादीनी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वो अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा प्रतिवादीगण को न्यायालय से जरिये चिर निषेधाज्ञा से वर्जित करवा कर करावें। प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन करवाने से इन्कार करने पर वादीनी ने यह दावा पेश किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने दिनांक 10.06.2025 को न्यायालय में मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वादीनी के साथ राजीनामा पेश किया। राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गयी प्रतिवादी संख्या 14 ने राज्यहित निहित नहीं होना लिख कर जबाब पेश किया, वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने दावा को अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का राजीनामा में कथन किया।

बहस सुनी गयी, दौराने बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं ने वादगत भूमि खेत खसरा नंबर 530 तादादी 9.6239 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 531 तादादी 11.6979 हैक्टेयर कुल तादादी 21.3218 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढ़ढेरू भाम्भूवान की भूमि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा वादीनी के साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 से दिनांक 10.06.2025 को न्यायालय में राजीनामा मय नजरी नक्शा पेश किया जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। राजीनामा मय नजरी नक्शा के अनुसार दावा डिक्री किये जाने का कथन किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली पर राजीनामा मय नजरी नक्शा प्रस्तुत है जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। वादगत

लगातार ....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

भूमि की प्रमाणित जमांबदी की नकल पत्रावली पर मौजूद है दावा को राजीनामा के मुताबिक डिक्री किये जाने बावत उभय पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है। उभय पक्षकारान राजीनामा मय नजरी नक्शा के अनुसार वादगत भूमि के दावा को डिक्री करने पर सहमत है। वादगत भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के मुताबिक संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, राजीनामा मय नजरी नक्शा के अनुसार वादगत भूमि का दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 का राजीनामा के मुताबिक अंतिम रूप से निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादीनी के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 531 तादादी 11.6979 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ढेरू भाम्भूवान की भूमि में से दक्षिणी तरफ यानि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के दक्षिणी तरफ की मिन तादादी 3.5536 हैक्टेयर भूमि रखी गयी है तथा वादीनी के आवागमन के लिये कटाणी रास्ता से फंटकर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की भूमि में से दक्षिणी पश्चिमी कोने से वादीनी के हिस्से पांति की भूमि में प्रवेश तक 16 फुट चौड़ा रास्ता रखा गया है।

(ख) खेत खसरा नंबर 530 तादादी 9.6239 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ढेरू भाम्भूवान में से प्रतिवादी संख्या 4 दीपाराम के हिस्से पांति में मिन तादादी 1.7768 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 के हिस्से पांति में मिन तादादी 1.7768 हैक्टेयर भूमि उत्तरी तरफ की यानि प्रतिवादी संख्या 1 के उत्तरी तरफ रखी गयी है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ता 11 के आवागमन के लिये कटाणी रास्ता लगता है।

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 गोरखा के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 530 तादादी 9.6239 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ढेरू भाम्भूवान की भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 ता 11 के दक्षिणी तरफ मिन मादादी 6.0703 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नंबर 531 तादादी 11.6979 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ढेरू भाम्भूवान में से मिन तादादी प्रतिवादी संख्या 2 निराणाराम व प्रतिवादी संख्या 3 गांगूराम के उतरी ओर की 1.0371 हैक्टेयर भूमि अर्थात

लगातार ....5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

कुल तादादी (6.0703 + 1.0371 = 7.1074) 7.1074 हैक्टेयर भूमि रखी गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 के आवागमन के लिये कटाणी रास्ता लगता है।

(घ) प्रतिवादी संख्या 2 निराणाराम व प्रतिवादी संख्या 3 मांगूराम के हिस्से में खेत खसरा नंबर 531 तादादी 11.6979 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ढेरू भाम्भूवान में से प्रतिवादी संख्या 1 गोरखा के दक्षिणी ओर व वादीनी दुर्गादेवी के उतरी ओर की बीच में मिन तादादी 7.1072 हैक्टेयर भूमि संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर रखी गयी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के आवागमन के लिये कटाणी रास्ता लगता है।

प्रतिवादी संख्या 14 को आदेशित किया जाता है कि **क, ख, ग, घ,** में वर्णितानुसार वादगत भूमि का विभाजन किया जाकर वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अलग से खातेदारी अमल दरामद करें व अलग से लगान कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रैस में तरमीम किया जावे राजीनामा मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा, वादीनी व प्रतिवादी संख्या 4 दीपाराम का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 के रहन यथावत रखा जावे। मुताबिक निर्णय डिक्री के राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 8-7-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

श्रीमती दुर्गा देवी वनाम गोरखा आदि

दावा विभाजन व चिर निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 61 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री अमरसिंह राठौड़, गोर्वधनसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री तिलोकचन्द पिलानियां वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के विरूद्ध एक तरफा एवं राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार दी जाती है कि :–

(क) वादीनी के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 531 तादादी 11.6979 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ढेरू भाम्भूवान की भूमि में से दक्षिणी तरफ यानि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के दक्षिणी तरफ की मिन तादादी 3.5536 हैक्टेयर भूमि रखी गयी है तथा वादीनी के आवागमन के लिये कटाणी रास्ता से फंटकर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की भूमि में से दक्षिणी पश्चिमी कोने से वादीनी के हिस्से पांति की भूमि में प्रवेश तक 16 फुट चौड़ा रास्ता रखा गया है।

(ख) खेत खसरा नंबर 530 तादादी 9.6239 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ढेरू भाम्भूवान में से प्रतिवादी संख्या 4 दीपाराम के हिस्से पांति में मिन तादादी 1.7768 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 के हिस्से पांति में मिन तादादी 1.7768 हैक्टेयर भूमि उत्तरी तरफ की यानि प्रतिवादी संख्या 1 के उत्तरी तरफ रखी गयी है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ता 11 के आवागमन के लिये कटाणी रास्ता लगता है।

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 गोरखा के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 530 तादादी 9.6239 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ढेरू भाम्भूवान की भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 ता 11 के दक्षिणी तरफ मिन मादादी 6.0703 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नंबर 531 तादादी 11.6979 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ढेरू भाम्भूवान में से मिन तादादी प्रतिवादी संख्या 2 निराणाराम व प्रतिवादी संख्या 3 गांगूराम के उत्तरी ओर की 1.0371 हैक्टेयर भूमि अर्थात कुल तादादी (6.0703 + 1.0371 = 7.1074) 7.1074 हैक्टेयर भूमि रखी गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 के आवागमन के लिये कटाणी रास्ता लगता है।

(घ) प्रतिवादी संख्या 2 निराणाराम व प्रतिवादी संख्या 3 गांगूराम के हिस्से में खेत खसरा नंबर 531 तादादी 11.6979 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ढेरू भाम्भूवान में से प्रतिवादी संख्या 1

लगातार ....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

गोरखा के दक्षिणी ओर व वादीनी दुर्गादेवी के उत्तरी ओर की बीच में मिन तादादी 7.1072 हैक्टेयर भूमि संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर रखी गयी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के आवागमन के लिये कटाणी रास्ता लगता है।

प्रतिवादी संख्या 14 को आदेशित किया जाता है कि **क, ख, ग, घ,** में वर्णितानुसार वादगत भूमि का विभाजन किया जाकर वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अलग से खातेदारी अमल दरामद करें व अलग से लगान कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रैस में तरमीम किया जावे राजीनामा मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा, वादीनी व प्रतिवादी संख्या 4 दीपाराम का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 के रहन यथावत रखा जावे। मुताबिक निर्णय व डिक्री के राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बावत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज...........—...........मुबलिग...........—...........बाबत.....—.....खर्चा
इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....—...........फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....—...........को
अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 8-7-25

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा ....बीदासर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट: खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर